न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

पत्रावली संख्या : 30/24 (प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2024/107

अनवान्

1. श्री दिनेश कुमार पुत्र कमलचन्द जी जाति जैन, उम्र वयस्क, निवासी सनवाड़, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

.............प्रार्थी

बनाम

1. श्री जगदीशचन्द्र पुत्र पन्नालाल जाति पालीवाल, उम्र वयस्क, निवासी नान्दवेल, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. अंजनाबाई पुत्री नानालाल बडालमीया, उम्र वयस्क, निवासी डबोक, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
3. श्री अजयसिंह पुत्र गोपालसिंह जाति राजपुत, उम्र वयस्क, निवासी भादसोड़ा, जिला चित्तौडगढ़ (राज०)
4. श्रीमती अनुराधा पत्नी रोशनलाल जाति वैष्णव, उम्र वयस्क, निवासी प्रतापनगर उदयपुर, जिला उदयपुर (राज०)
5. श्रीमती अनिता पत्नी मनोज कुमार जाति जैन, उम्र वयस्क, निवासी डबोक, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
6. श्री अशोक कुमार पुत्र हजारीमल जाति जैन, उम्र वयस्क, निवासी दरीबा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज०)
7. श्रीमती आशा पत्नी कालुलाल जाति मोची, उम्र वयस्क, निवासी डांगीयो का चौराहा वल्लभनगर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज०)
8. श्री उमराव खां पुत्र शमसेर खां जाति मुसलमान, उम्र वयस्क, निवासी मधुफला डबोक, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
9. श्री कल्याणसिंह पुत्र भेरूसिंह जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी गुपड़ा वल्लभनगर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज०)
10. श्री कृष्ण गोपाल पुत्र मोहनलाल जाति झंवर उम्र वयस्क, निवासी उदयपुर, जिला उदयपुर (राज०)
11. श्रीमती किरणकुंवर पत्नी बहादुरसिंह जाति राजपुत, उम्र वयस्क, निवासी गुपड़ा वल्लभनगर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज०)
12. श्री गणेशलाल पुत्र हरकलाल जाति जैन, उम्र वयस्क, निवासी नान्दवेल, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
13. श्री चंचल पुत्र चम्पालाल जाति मालवीय, उम्र वयस्क, निवासी डबोक, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
14. श्री चम्पालाल पुत्र लालचन्द जाति नागदा, उम्र वयस्क, निवासी 15 बी सन्तोषनगर गायरियावास, उदयपुर, जिला उदयपुर (राज०)
15. श्रीमती टमुबाई पत्नी मदनदास जाति बैरागी, उम्र वयस्क, निवासी शियाखेड़ी वल्लभनगर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:53:27 IST
Reason: SelfAttested

16. श्री तेजसिंह पुत्र हजारीमल जाति जैन, उम्र वयस्क, निवासी दरीबा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज०)
17. श्री देवकिशन पुत्र भगवतीलाल जाति ब्राह्मण, उम्र वयस्क, निवासी नान्दवेल, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
18. श्री दिनेशचन्द्र पुत्र रामलाल जाति सुथार, उम्र वयस्क, निवासी ओरड़ी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
19. श्री दिलीप कुमार पुत्र हजारीमल जाति जैन, उम्र वयस्क, निवासी दरीबा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज०)
20. श्री दीपक पुत्र जगदीश जाति पालीवाल, उम्र वयस्क, निवासी रूपनगर डबोक, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
21. श्री दीपकदास पुत्र चतरदास जाति बैरागी, उम्र वयस्क, निवासी बिडघास, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
22. श्री धनराज पुत्र मोतीलाल जाति लोहार, उम्र वयस्क, निवासी डबोक, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
23. श्री नरेन्द्र पुत्र मोतीलाल जाति लुहार, उम्र वयस्क, निवासी डबोक, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
24. श्री नरेन्द्रसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति राजपुत, उम्र वयस्क, निवासी बामणिया खेत, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
25. श्री प्यारेलाल पुत्र किसनलाल जाति सुथार, उम्र वयस्क, निवासी 18 विश्वकर्मानगर गायरीवास, उदयपुर, जिला उदयपुर (राज०)
26. श्रीमती प्रकाशकुंवर पत्नी फतहसिंह जाति राजपुत, उम्र वयस्क, निवासी कुडवा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज०)
27. श्री प्रकाशचन्द्र पुत्र रामलाल जाति सुथार, उम्र वयस्क, निवासी ओरड़ी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
28. श्री प्रफुल पुत्र जगदीशचन्द्र जाति पालीवाल, उम्र वयस्क, निवासी डबोक, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
29. प्रेमबाई पुत्री नानालाल जाति बडालमीया, उम्र वयस्क, निवासी डबोक, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
30. श्रीमती प्रमिला पत्नी महेन्द्र ढाका जाति ढाका, उम्र वयस्क, निवासी डबोक, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
31. श्री फतहसिंह पुत्र हरिसिंह जाति राजपुत, उम्र वयस्क, निवासी गुड़ा चतरा, तहसील सोजत, जिला पाली (राज०)
32. श्री बसन्तीलाल पुत्र ख्यालीलाल जाति बापना, उम्र वयस्क, निवासी उदयपुर, जिला उदयपुर (राज०)
33. श्री बापूलाल पुत्र रूपलाल जाति जैन, उम्र वयस्क, निवासी डबोक, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
34. श्री मनोज कुमार पुत्र बापुलाल जाति जैन, उम्र वयस्क, निवासी डबोक, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
35. श्री महावीर पुत्र बसन्तीलाल जाति बापना, उम्र वयस्क, निवासी उदयपुर, जिला उदयपुर (राज०)
36. श्री मिश्री लाल पुत्र हरकलाल जाति [illegible], उम्र वयस्क, निवासी डबोक, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:53:27 IST
Reason: SelfAttested

37. श्री मीठालाल पुत्र बसन्तीलाल जाति बापना, उम्र वयस्क, निवासी 15 बी सन्तोषनगर गायरियावास, उदयपुर, जिला उदयपुर (राज०)
38. श्रीमती मोहनबाई पत्नी नानालाल जाति बडालमीया, उम्र वयस्क, निवासी डबोक, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
39. यशवी पुत्री विपिन जाति चित्तोडा, निवासी डबोक, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
40. श्रीमती यशोदादेवी पत्नी शंकरलाल जाति ब्राह्मण, उम्र वयस्क, निवासी देवाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
41. श्री रतन पुत्र सुरेश जाति राजपुत, उम्र वयस्क, निवासी खेराडीवाडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज०)
42. श्रीमती रमाकान्ता पत्नी जगदीशचन्द्र जाति पालीवाल, उम्र वयस्क, निवासी डबोक, तहसील मावली, जिला उदयपुरर (राज०)
43. श्रीमती रशीदामर्चेन्ट पत्नी सिराज हुसेन जाति मर्चेन्ट, उम्र वयस्क, निवासी 64 फतेहपुरा बेदला रोड़ उदयपुर, जिला उदयपुर (राज०)
44. श्री राकेश पुत्र मोहनलाल जाति झंवर, उम्र वयस्क, निवासी उदयपुर, जिला उदयपुर (राज०)
45. श्री राजेन्द्र पुत्र बसन्तीलाल जाति बापना, उम्र वयस्क, निवासी 15 बी सन्तोषनगर गायरियावास, उदयपुर, जिला उदयपुर (राज०)
46. श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र हजारीमल जाति जैन, उम्र वयस्क, निवासी दरीबा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज०)
47. श्री राजेश पुत्र रोशनलाल जी जाति चित्तोड़ा, उम्र वयस्क, निवासी 15 बी सन्तोषनगर गायरियावास उदयपुर, जिला उदयपुर (राज०)
48. श्री राहुलकुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार जाति जैन, उम्र वयस्क, निवासी डबोक, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
49. श्री लइक अहमद अंसारी पुत्र रफीक अंसारी जाति मुसलमान, उम्र वयस्क, निवासी 560 उदयपथ विवेक विहार श्यामनगर सांगानेर रोड जयपुर (राज०)
50. श्री लक्ष्मीकान्त पुत्र शंकरलाल जाति पालीवाल, उम्र वयस्क, निवासी 16 पदमनी मार्ग ग्लास फैक्ट्री चौराया उदयपुर (राज०)
51. लक्षिता पुत्र विपिन जाति चित्तोडा, उम्र वयस्क, निवासी डबोक, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
52. श्री ललित पिता गेहरीलाल जी पालीवाल, उम्र वयस्क, निवासी ओरड़ी (ए). तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
53. श्री लालुराम पुत्र दला जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी नान्दवेल, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज०)
54. श्री विक्रमसिंह पुत्र फतहसिंह जाति राजपुत, उम्र वयस्क, निवासी बडगांव, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज०)
55. श्री विजयसिंह पुत्र कालुसिंह जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी गुपड़ा वल्लभनगर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज०)
56. श्री विमल कुमार पुत्र सुखलाल जाति जैन, उम्र वयस्क, निवासी डबोक, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
57. श्री शंकरसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी मजावडा वल्लभनगर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:53:27 IST
Reason: SelfAttested

58. शितिजा पुत्री चंचल जाति मालवीय, उम्र वयस्क, निवासी डबोक, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
59. श्री सुखलाल पुत्र मोहनलाल जाति सिंघवी, उम्र वयस्क, निवासी दरीबा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज०)
60. श्री सज्जनकुमार दुत पुत्र राम कुमार सिंह जाति जाट, उम्र वयस्क, निवासी 13/970 उ.सुन्दरवास उदयपुर, जिला उदयपुर (राज०)
61. श्रीमती सन्तोषदेवी पत्नी बुदीलाल जाति ओला जाट, उम्र वयस्क, निवासी मकान नम्बर 118 बी नगर धाऊजी की बावडी बेडवास, उदयपुर, जिला उदयपुर (राज०)
62. श्री सुनील पुत्र स्व० रतनलाल दायमा जाति खटीक, उम्र वयस्क, निवासी मेड़ता, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
63. श्रीमती सुरजदेवी पत्नी राजेन्द्र कुमार जाति जैन, उम्र वयस्क, निवासी डबोक, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
64. श्री सुरेशकुमार पुत्र रूपलाल जाति महाजन, उम्र वयस्क, निवासी नान्दवेल, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
65. श्री सवराम पुत्र हमेरा जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी नान्दवेल, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज०)
66. श्रीमती सुशीलादेवी पत्नी नन्दकिशोर वीरवाल जाति खटीक, उम्र वयस्क, निवासी डबोक, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
67. श्री हरीश कुमार पुत्र भगवतीलाल जाति सोनी, उम्र वयस्क, निवासी नान्दवेल, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
68. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, मावली, जिला उदयपुर (राज०)
69. पटवारी, पटवार हल्का डबोक, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

................विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री सम्पत सामोता, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री मनीष शर्मा, अधिवक्ता विपक्षी सं. 1

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 09.12.2024

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा डबोक पटवार हल्का डबोक की आराजी नम्बर 711 रकबा 1.4488 हेक्टेयर उक्त वर्णित कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में मुझ प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 से 67 के नाम संयुक्त रूप से हिस्सानुसार खातेदारी हक से अंकित हैं। उक्त कृषि भूमि में मेरे नाम के साथ मेरे पता नान्दवेल अंकित है जो कि गलत है जबकि मेरे सही एवं वास्तविक पता सनवाड़ हैं।

2. यहकि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि के 93/120वें हक हिस्से के खातेदारों ने अपनी उक्त वर्णित कृषि भूमि पर प्लोटिंग कर भूखण्ड बनाये और उक्त वर्णित अपना कुलिया हक हिस्सा कृषि भूखण्डों के रूप में मुझ प्रार्थी सहित कुल 31 क्रेतागण को

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:53:27 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 27.09.1986 को पंजीकृत विक्रय पत्र के जरिए विक्रय कर दिया और पृथक–पृथक रूप से सीमांकन चिन्ह लगाकर कृषि भूखण्डों का मुझ प्रार्थी एवं अन्य क्रेतागण को मौके पर भौतिक कब्जा सुपुर्द कर दिया जिसके बाद से ही मैं प्रार्थी अपने क्रयसुदा भूखण्ड पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करता आ रहा हूँ तथा मुझ प्रार्थी ने अपने कृषि भूमि पर बाउण्ड्रीवाल निर्मित करवाकर आने–जाने के लिये रास्ते की तरफ फाटक भी लगवाई। मुझ प्रार्थी के क्रयसुदा एवं कब्जे कृषि भूखण्ड में विपक्षीगण अथवा अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक अधिकार नही है।

3. यहकि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि पर स्थित कृषि भूखण्डों पर सभी क्रेतागण पृथक–पृथक रूप से काबिज है तथा मैं प्रार्थी भी अपने क्रयसुदा कृषि भूखण्ड पर वर्षों से स्वतन्त्र रूप से काबिज होकर उपयोग उपभोग आ रहा हूँ किन्तु उक्त कृषि भूखण्ड वर्तमान रेवेन्यु रेकार्ड में संयुक्त खातेदारी में दर्ज होने से मुझ प्रार्थी को अपने क्रयसुदा कृषि भूखण्ड का उचित उपयोग उपभोग करने, विकसित करने एवं भू–रूपान्तरण इत्यादि कार्य कराने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा हैं। इसलिये उक्त वर्णित कृषि भूमि में मैं प्रार्थी अपने क्रयसुदा कृषि भूखण्ड का विक्रय पत्र में वर्णित हक हिस्सेनुसार एवं मौके पर कब्जे के अनुसार जरिये भूमिधारी तहसीलदार मावली द्वारा कानूनी रूप से बंटवाड़ा कराने का अधिकरी हूँ। इसलिये मुझ प्रार्थी की और से माननीय न्यायालय आपमें वाद पत्र प्रस्तुत कर दिया है।

4. यहकि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि में प्लानिंग कर प्लोट बनाकर मौके पर बंटवाड़ा किया हुआ है और मैं प्रार्थी अपने क्रयसुदा कृषि भुखण्ड पर वक्त खरीद से शांतिपूर्वक काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा हूँ जिसमें विपक्षी संख्या 1 या अन्य किसी का कोई हक अधिकार नहीं रहा हैं। लेकिन विपक्षी संख्या 1 जो भूमाफिया है जिसने मुझ प्रार्थी के कृषि भूखण्ड को अनाधिकृत रूप से हथियाने की नियत से अपने आपराधिक सहयोगियों के सहयोग से धनबल एवं बाहूबल के आधार पर जोर जबरदस्ती मेरे कृषि भुखण्ड पर तोड़ फोड़ करते हुए मनमाने ढ़ग से भारी मात्रा में कारीगर मजदूर लगाकर द्रुतगति से निर्माण करवाना प्रारम्भ करा दिया। मुझ प्रार्थी को विपक्षी संख्या 1 के उक्त कृत्य की जानकारी मिलने पर मैने मौके पर पहुँच कर विपक्षी संख्या 1 को मेरे कृषि भूखण्ड में अनाधिकार रूप से निर्माण कराने से मना किया तो विपक्षी संख्या 1 अपने सहयोगीयों के साथ मिलकर मेरे साथ गाली गलोच करते हुए लड़ाई झगड़ा करने पर आमादा हुआ और धमकी दी कि वो उसकी मर्जी होगी वहां निर्माण करायेगा, उसे कोई भी रोकेगा तो उसे जान से खतम कर देगें। इस प्रकार मेरे द्वारा मना करने पर भी विपक्षी संख्या 1 नहीं माना और द्रुतगति से निर्माण कराना शुरू करा रखा हैं। जबकि इसको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिये मैं प्रार्थी विपक्षी संख्या 1 द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:53:27 IST
Reason: SelfAttested

अनाधिकार रूप से किये जा रहे अवैध कृत्य को रूकवाने के लिये इसके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी हूँ एवं विपक्षी संख्या 1 द्वारा जो अवैध निर्माण करवा दिया है उसे आदेशात्मक निषेधाज्ञा जारी करवाकर विपक्षी संख्या 1 के खर्चे से ध्वस्त कराकर हटवाने का अधिकारी हूँ जिस हेतु वाद पत्र माननीय न्यायालय आपमें प्रस्तुत कर दिया हैं। विपक्षी संख्या 1 के उक्त कृत्य के सम्बन्ध में मुझ प्रार्थी ने पुलिस में भी लिखित रूप से रिपोर्ट प्रेषित कर कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया हैं जिसकी कार्यवाही विचाराधीन हैं।

5. यहकि मुझ प्रार्थी का प्रथम दृष्टया सुदृढ मामला है। वादगत कृषि भुखण्ड का मैं प्रार्थी खातेदार हूँ और मौके पर अपने हिस्से कब्जे के भुखण्ड पर वक्त खरीद से शांतिपूर्वक काबिज होकर उपयोग उपभोग करता आया हूँ। लेकिन विपक्षी संख्या 1 मेरे कृषि भूखण्ड को हथियाने पर उतारू हो रहा है एवं इसी नियत से मौके पर भारी तादाद में निर्माण सामग्री भी डलवाकर निर्माण कराना प्रारम्भ करवा दिया है और मुझ प्रार्थी द्वारा इसे ऐसा करने से मना करने पर भी विपक्षी संख्या 1 नहीं माना बल्कि मेरे साथ गाली गलोच कर लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हुआ। जबकि इसको ऐसा करने का कोई अधिकार नही है। इसलिये मैं प्रार्थी विपक्षीगण के खिलाफ इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी हूँ कि विपक्षी संख्या 1 प्रार्थी को उसके कृषि भुखण्ड का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, प्रार्थी के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें, प्रार्थी के कृषि भुखण्ड पर जबरन निर्माण नही करे, निर्माण सामग्री नही डाले, उक्त कार्य न स्वयं करे, न ही अपने नौकर चाकर एजेन्ट के मार्फत ही करावें, मौके व रिकोर्ड की यथावत स्थिति बनाये रखें। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से विपक्षी संख्या 1 को कोई क्षति या नुकसान होने वाला नहीं है बल्कि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से मुझ प्रार्थी को भारी क्षति होगी जिसका मूल्याकंन रूपयों पैसो में किया जाना असंभव होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दू भी मुझ प्रार्थी के पक्ष में है।

6. यहकि मुझ प्रार्थी को विपक्षीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 04.03.2024 को उत्पन्न हुआ जब विपक्षी संख्या 1 द्वारा मेरे कृषि भूखण्ड पर अनाधिकृत रूप से निर्माण कराने की जानकारी मिलने पर मुझ प्रार्थी ने मौके पर पहुँच कर विपक्षी संख्या 1 को मेरे कृषि भूखण्ड पर अवैध रूप से किसी भी प्रकार का निर्माण कराने से मना किया किन्तु विपक्षी संख्या 1 नही माना और गाली गलोच कर लड़ाई झगड़ा करने पर आमादा हुआ, तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:53:27 IST
Reason: SelfAttested

7. यहकि विपक्षी संख्या 2 से 67 सहखातेदार है, विपक्षी संख्या 68 भूमिधारी है, विपक्षी संख्या 69 राजस्व रेकर्ड का मेन्टेन करते है जो आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार मुकदमा बनाये गये हैं।

8. अन्त में निवेदन किया कि मुझ प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मुझ प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावें कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि में विपक्षी संख्या 1 प्रार्थी को उसके कृषि भुखण्ड का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, प्रार्थी के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करें, प्रार्थी के कृषि भुखण्ड पर जबरन निर्माण नही करे, निर्माण सामग्री नही डाले, उक्त कार्य न स्वयं करे, न ही अपने नौकर चाकर एजेन्ट के मार्फत ही करावें, मौके व रिकोर्ड की यथावत स्थिति बनाये रखें।

9. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 2 से 67 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। विपक्षी सं. 1 द्वारा जवाब मय काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि हस्तगत आराजीयात के सभी सहखातेदारों के मध्य आपसी विभाजन होकर भूखण्ड कायम कर रखे है तथा इसी अनुसार पूर्व के खातेदारों द्वारा आपसी विभाजन से प्राप्त भूमि का विक्रय विपक्षीगण को किया व उसी अनुसार विपक्षी मौके पर काबिज होकर विपक्षी द्वारा अपने हक व हिस्से की भूमि में दुकाने, स्वीमिंगपुल का निर्माण कर रखा है यानि उक्त भूमि का आपसी सहमति से पूर्व में ही विभाजन हो रखा है, तथा उसी अनुसार सभी खातेदार अपने–अपने हिस्से पर काबिज चले आ रहे है इसी अनुक्रम में विपक्षी अपनी क्रयशुदा भूमि पर काबिज होकर विपक्षी द्वारा दुकाने व तीन मंजिला भवन बना रखा है जिससे उक्त प्रार्थना–पत्र पोषणीय नही होने से निरस्त योग्य है।

10. यह कि वादग्रस्त आराजीयात मुझ विपक्षी द्वारा स्वयं अपने एवं अपनी पत्नी एवं अपने पुत्रो के नाम से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र दिनांक 10/01/2011, 27/01/2011, 04/10/2012 व 27/10/2015 से क्रय की गई एवं क्रय किये जाने के बाद मुझ विपक्षी द्वारा विभाजन से प्राप्त भूखण्ड में अपने हक व हिस्से में निर्माण करवाया गया। विपक्षी द्वारा किसी प्रकार का अतिक्रमण प्रार्थी के भूखण्ड में नही किया गया है वास्तविक तथ्य यह है कि उक्त आराजीयात राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप आ जाने से राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु भूमि अवाप्त की गई, उक्त अवाप्ति से भूमि का रकबा कम रह गया जो सभी सहखातेदारों के हिस्से में से कम हुआ है तथा इसी क्रम में मुझ विपक्षी के खाते में 10569.48 वर्गफीट भूमि है जिसका [illegible] 1/40 बनता है परन्तु स्वयं विपक्षी लगभग 8000 वर्गफीट भूमि पर ही काबिज [illegible] विपक्षी स्वयं ने भी उक्त अवाप्ति से

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sinvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:53:27 IST
Reason: SelfAttested

रकबे में कमी हुई है परन्तु प्रार्थी उक्त तथ्य मानने को तैयार नही है व जबरन मुझ विपक्षी की भूमि में प्रवेश करने पर आमादा है, जिस हेतु विपक्षी पर अनुचित दबाव बनाने हेतु उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है जबकि कानूनन एक सहखातेदार दूसरे सहखातेदार के विरूद्धं अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त नही कर सकता है जिससे उक्त प्रार्थना–पत्र विधि सम्मत नही होने से प्रथम दृष्टया निरस्तनीय है।

11. यह कि प्रार्थी का कोई प्रथम दृष्टया प्रकरण नहीं है, प्रार्थी भी उक्त भूमि का विपक्षी के साथ संयुक्त खातेदार एवं काश्तकार है तथा स्वयं अपने कथनानुसार मौके पर हुए आपसी विभाजन से अपने भूखण्ड पर काबिज है प्रार्थी विपक्षी को बेदखल कर विपक्षी का भूखण्ड जो मुख्य सड़क के नजदीक है को हड़पना चाहता है जिस हेतु उसके द्वारा गलत एवं मिथ्या कथन उक्त प्रार्थना–पत्र में अंकित किये है विपक्षी द्वारा काफी वर्षो पूर्व ही निर्माण अपने हिस्से की भूमि पर किया जा चुका है किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्याधीन नही है ऐसी स्थिति में प्रार्थी के पक्ष में किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। जहां तक प्रार्थी का कोई प्रथम दृष्टया प्रकरण नही है तो सुविधा सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र प्रथम दृष्टया निरस्तनीय है।

12. यह कि कोई प्रार्थना–पत्र का कारण तथाकथित दिनांक को प्रार्थी को उत्पन्न नही हुआ। विपक्षी ने किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण प्रार्थी की भूमि पर नही कर रखा है ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र प्रथम दृष्टया निरस्तनीय है।

13. अन्त में निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 1 की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

14. **विपक्षी सं. 1 द्वारा काउन्टर प्रार्थना पत्र** पेश कर निवेदन किया कि विपक्षी के स्वामित्व एवं सहखातेदारी हक की कृषि भूमि आराजी संख्या 711 रकबा 1.4488 हैक्टेयर भूमि स्थित है जिसमें विपक्षी का दिपक पिता जगदीश, प्रभुल्ल पिता जगदीश, रामाकान्त पत्नी जगदीश के साथ संयुक्त रूप से 1/40 वां हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज है।

15. यह कि उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि विपक्षी द्वारा विभिन्न विक्रय–पत्र दिनांक 27/01/2011, 10/01/2011, 04/10/2012 व 27/10/2015 से क्रय की गई। विपक्षी द्वारा उक्त भूमि क्रय किये जाने से पूर्व ही पूर्व के सहखातेदारो द्वारा आपसी मौखिकी विभाजन कर भूखण्ड कायम कर रखे थे जिस अनुसार विपक्षी उपरोक्त विक्रय–पत्र से क्रय भूखण्डो पर आधिपत्य प्राप्त किया। उक्त भूखण्ड क्रय किये जाने के पश्चात् विपक्षी द्वारा उक्त सभी भूखण्डों को मिलाकर अपने भूखण्ड की लगभग 5200 वर्गफीट भूमि पर पक्का निर्माण करवाया [illegible] जो वर्तमान में मौके पर मौजुद है तथा विपक्षी द्वारा अपनी उक्त भूमि में से तीन भू[illegible] जो विपक्षी द्वारा कायम किये थे अन्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:53:27 IST
Reason: SelfAttested

सहखातेदारो को विक्रय किये गये जिस पर उनके द्वारा मकान का निर्माण किया जाकर वर्तमान में निवास किया जा रहा है।

16. यह कि वादग्रस्त कृषि भूमि केवल राजस्व रेकर्ड में संयुक्त रूप से अंकित है परन्तु मौके पर इसका विधिवत सभी सहखातेदारों के मध्य आपसी विभाजन होकर सभी अपने–अपने हिस्से पर काबिज चले आ रहे है व अपने–अपने हिस्से पर विभिन्न सहखातेदारों के मकान एवं दुकाने बनी हुई है विपक्षी के भूखण्ड पर विपक्षी की तीन मंजिला दुकाने व कमरो, स्वीमिंगपुल का निर्माण किया हुआ है यानि विपक्षी द्वारा अपने क्रयशुदा भूखण्डो पर भारी लगात लगाकर क्रय की दिनांक से उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है जिसका ज्ञान सभी सहखातेदारों को है।

17. यह कि प्रार्थी के यह ज्ञान में है कि उक्त भूमि का आपसी विभाजन हो रखा है व उसी अनुसार विपक्षी अपने भूखण्ड पर काबिज होकर उपयोग–उपभोग कर रहा है परन्तु प्रार्थी जो कि एक चुश्त एवं चालाक व्यक्ति है विपक्षी का भूखण्ड जो मुख्य सड़क के नजदीक है पर आधिपत्य करना चाहता है जिस हेतु वह प्रारम्भ से बराबर पर्यन्तशील रहा है व इसी क्रम में उसके द्वारा पूर्व में भी विपक्षी के विरूद्ध एक वाद अपने सहयोगियों, सहखातेदारों बापुलाल व सुखलाल सिंघवी से विपक्षी के विरूद्ध माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करवाया जिसके प्रकरण संख्या 228/2015 होकर उक्त वाद में इनको सफलता नही मिलने से उक्त वाद विड्रो कर लिया व अब इतने वर्षों पश्चात् पुनः प्रार्थी द्वारा इन्ही तथ्यों के आधार पर उक्त वाद एवं प्रार्थना–पत्र मुझ विपक्षी के विरूद्ध प्रस्तुत किया है जबकि प्रार्थी के यह ज्ञान में है कि विपक्षी अपने भूखण्ड पर आधिपत्यधारी होकर उपयोग–उपभोग कर रहा है व भवन का निर्माण भी विपक्षी द्वारा करवा रखा है परन्तु प्रार्थी जबरन विपक्षी को उसके कब्जेशुदा भूखण्ड व भवन से बेदखल करने पर आमादा है जिसका उसे कोई कानूनी अधिकार नही है।

18. यह प्रार्थी के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा फरमाया जाना आवश्यक है कि वो वादग्रस्त भूमि में विपक्षी के भूखण्ड में प्रवेश नही करें विपक्षी को बेदखल नही करें तथा विपक्षी द्वारा किये जा रहे उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की विघ्न या बाधा उत्पन्न नही करें यदि प्रार्थी को उपरोक्त आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जाता है तो प्रार्थी जो कि एक चुश्त एवं चालाक व्यक्ति है तथा जिसने अवैधानिक लोगों को गिरोह बना रखा है के माध्यम से विपक्षी को उसके आधिपत्यशुदा भूखण्ड से बेदखल कर देगा, निर्माण को नष्ट कर देगा जिससे ऐसी भारी मानसिक एवं आर्थिक क्षति प्रार्थी को हो जाएगी जिसका एवजाना रूपयों में एवजाना आंका जाना सम्भव नही रहेगा।

19. यह कि प्रथम दृष्टया प्रकरण विपक्षी के [illegible] है विपक्षी पूर्व में हुए विभाजन अनुसार प्राप्त भूखण्ड पर काबिज होकर उपयोग–उपभोग कर रहा है विपक्षी द्वारा लाखो रूपयों

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:53:27 IST
Reason: SelfAttested

की मालियत उक्त भूखण्ड पर लगा रखी है इसके विपरित प्रार्थी का अपने अलग स्थान पर आधिपत्य होकर वहां पर काबिज है परन्तु प्रार्थी विपक्षी जो कि मुख्य सड़क समीप काबिज है को बेदखल करना चाहता है जिससे उसे रोका जाना न्यायहित में आवश्यक है। सुविधा सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति भी विपक्षी को होने वाली है। विपक्षी की भारी लागत मौके पर लगी होकर आधिपत्यधारी है इसके विपरित प्रार्थी का विपक्षी के भूखण्ड से कोई सम्बन्ध नही है जिससे विपक्षी को उपरोक्त आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाना आवश्यक है।

20. अन्त में निवेदन किया कि प्रति प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मूल वाद के निस्तारण तक विपक्षी को आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि (क) कि वो प्रति प्रार्थना–पत्र में वर्णित भूखण्ड में प्रवेश नही करें, विपक्षी को बेदखल नही करें व विपक्षी द्वारा किये जा रहे उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की विघ्न या बाधा उत्पन्न नही करें।

21. प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र व काउन्टर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा काउन्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

22. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। ग्राम डबोक पटवार हल्का डबोक तह. मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 532 पर दर्ज आराजी नम्बर 711 रकबा 1.4488 हेक्टेयर भूमि प्रार्थी एवं विपक्षीगण के नाम संयुक्त रूप से हिस्सेनुसार दर्ज हैं। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि कुल 68 सहखातेदारो के नाम दर्ज हैं। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण भी रेकार्डेड खातेदार हैं तथा लगभग खातेदार वादग्रस्त भूमि में से छोटे–छोटे भूखण्ड क्रय कर खातेदार बने हैं। प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थी अपने भूखण्ड पर काबिज हैं तथा विपक्षी सं. 1 के अनुसार वह अपने भूखण्ड पर काबिज हैं। इससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि केवल मात्र रेकार्ड में सहखातेदारी हक से दर्ज हैं परन्तु मौके पर सभी सहखातेदार पृथक पृथक काबिज हैं। उभय पक्षकारान द्वारा मौके के फोटोग्राफ्स भी पेश कर रखे हैं जिससे भी जाहिर आया है कि मौके पर खातेदार पृथक–पृथक काबिज होकर पक्का निर्माण कर रखा हैं। इस प्रकार प्रार्थी व विपक्षीगण वादग्रस्त भूमि के रेकार्डेड खातेदार होने से तथा मौके पर पृथक–पृथक काबिज होने से किसी भी पक्षकार का प्रथम दृष्टया मामला प्रतीत नहीं होता है। प्रथम दृष्टया मामला साबित नहीं होने से यदि खातेदारो के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:53:27 IST
Reason: SelfAttested

विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो इससे उनके हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा तथा अपूरणीय क्षति भी होगी। शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि से तय किये जावेगे। अतः उपरौक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र व विपक्षी संख्या 1 का काउन्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाये जाते है।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का एवं विपक्षी संख्या 1 का काउन्टर प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सरे ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:53:27 IST
Reason: SelfAttested